

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार) निफ्ट भोपाल-हिंदी विभाग

National Institute of Fashion Technology (Ministry of Textiles, Govt. of India) NIFT Bhopal- Hindi Department

13136/निफ्ट भोपाल/प्रशा./हिन्दी समिति/2009/भाग-2

दिनांक: 14/02/2023

कार्यालय आदेश/Office Order

निफ्ट भोपाल परिसर में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदुओं को परिचालित किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त निफ्ट मुख्यालय, नई दिल्ली, वस्त्र मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी नियमों एवं दिशानिर्देशों का भी कारगर रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

In order to promote the progressive use of Official Language Hindi in NIFT Bhopal Campus, Check Points are being issued to ensure the compliance of Rule 12 of the Official Language Act, 1976. In addition to the above, the effective compliance of rules and guidelines issued by NIFT headquarters New Delhi, Ministry of Textiles and Department of Official language, Ministry of Home affairs from time to time must be ensured.

परिसर द्वारा पूर्व में दिनांक 20 जुलाई, 2021 के समसंख्यक पत्र द्वारा परिसर के सभी विभागाध्यक्षों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया था। इस संदर्भ में पुन: अनरोध है कि उक्त जांच बिंदुओं का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। यदि जांच बिन्दुओं में से किसी का भी उल्लघंन किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी पत्र पर हस्ताक्षर जारी करने वाले अधिकारी की होगी।

The campus had earlier requested all the departmental heads through the letter dated 20 July, 2021 to ensure the compliance of check points. In this context, it is reiterated that the compliance of the check points must be ensured. If any of the given check points are violated, then the officer signing such letter will be responsible for it.

(ले. क. आशीष अग्रवाल)/Lt. Col. Ashish Agarwal निदेशक/Director

निफ्ट भोपाल/NIFT Bhopal

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु/Copy to, for information and necessary action:

- 1. सभी विभागाध्यक्षा/अधिकारी/ All HOD's/officers
- 2. श्री विवेक सक्सेना, सहायक निदेशक (राजभाषा) निफ्ट मुख्यालय, हौज खास नई दिल्ली/ Shri Vivek Saksena, Assistant Director(Official Language) NIFT Head Office, Hauz Khas New Delhi.



(ले. क. आशीष अग्रवाल)/Lt. Col. Ashish Agarwal

निदेशक/Director

निफ्ट भोपाल/NIFT Bhopal

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अंतर्गत निफ्ट भोपाल के लिए बनाए गए अतिमहत्वपूर्ण जांच बिंदु Most important Check points prepared for NIFT Bhopal under Rule 12 of Official Language Act 1976

क्रम सं./ sr.	जांच बिंदु / Check Point	लागू करने के लिए जिम्मेदार
No No	6.7000 (1900)	अधिकारी/Officer responsible for
1	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी	compliance/implementation
	किए जाने वाले कागजातों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में	सभी विभागाध्यक्ष
	जारी करना	
	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प	k yezh avez 1/6
	सामान्य आदेश, नियम, अधिस्चनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य	. विद्यापुरस् १४ अर असुन्यका
	रिपोर्ट, प्रेस विज्ञिप्तयां, संसद के किसी भी सदन अथवा दोनों	वासाम् अस्ति प्रश्निक व स
	सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य	I an experience of several
	प्रतिवदेन और सरकारी कागजात, संविदा, करार, निविदा	THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF
	स्चनाए, निवदा फार्म द्विभाषी रूप में अर्थात अंग्रेजी और	their contrava the cour to one light
	हिंदी दोनों भाषा में एक साथ जारी किए जाएं। किसी प्रकार के	most and the second language where the
	उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार	新聞 2 M 10 10 M 10 M
	माना जाएगा।	THE RESIDENCE THE PARTY OF THE PARTY.
	THE RESIDENCE OF THE RESIDENCE A THE	
	All the documents to be necessarily issued in Bilingual form under section 3 (3) of the Official Language Act 1963.	All HOD's
	Under Section 3(3) of the Official Language Act Resolutions General	THE STATE OF THE S
	order, Rules, Notifications, Administrative and other Reports, Press Communiques/ Releases, Administrative and other reports and	asutoly was spring by its many allege y
	official papers to be submitted in either house or both houses of the	
gerings an	parliament, tender, license, tender notices, tender forms should be	
	issued in Bilingual form i.e. Hindi and English together. The officer signing such document will be held responsible for any violation.	
	हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि के उत्तर हिंदी में देना	सभी विभागाध्यक्ष
	पत्र आदि जारी करने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना	
	चाहिए कि यदि पत्र आदि हिंदी में प्राप्त हुआ है अथवा यदि	
	किसी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन पर हिंदी में हस्ताक्षर	ON THE PARTY OF THE PARTY OF THE
mor (E.)	किए गए हों तो राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के	लक्ष सो सम्बंधित है। इस अवस्था हो हो है।
	अंतर्गत उसका उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है।	वृति स्वयाप्तव तार्वकाः वर्वति है
	defined every performance of the country and the country are the country of the c	
	Letters received in Hindi must be replied in Hindi	
	The letter issuing authority must ensure that if a letter is received in Hindi or if the application, appeal or representation is signed in Hindi	All HOD's
	then as per rule 5 under the Official Language Act 1976, it is	
7	mandatory to answer/reply in Hindi.	
	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की केंद्र/राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले	सभी विभागाध्यक्ष
	पत्र आदि	
	पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि	
	वे "क" तथा "ख" क्षेत्रों में केन्द्र/राज्य सरकारों को भेजे जाने	
	वाले पत्र हिंदी में हों अथवा उनका हिंदी अनुवाद साथ में	
	संलग्न हो। ध्यान रहे कि "क" तथा "ख" क्षेत्र के लिए हिंदी	

Lett	ers sent to the Central/State Governments located in 'A' and 'B'	
Cen or H	Officer signing the letter must ensure that the letters sent to the tral/State Governments located in 'A' and 'B' Region are in Hindi lindi translation is attached along with it. It must be kept in mind the fixed target for Hindi correspondence for 'A' and 'B' region is	All HOD's
	प्यूटरों आदि की खरीद	आईटी/ क्रय विभाग
क <i>र-</i> अधि	प्यूटरों तथा लैपटाप आदि की खरीद करते समय संबंधित पेकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन यूटरों पर द्विभाषी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध हो।	the Report of the Control of the Con
Wh	chase of Computers etc. ile purchasing Computers and Laptops etc., the concerned officer uld ensure that those computer support bilingual working nat/software.	IT/Purchase Department
	माँ, मैनुअलों की सामग्री का द्विभाषी प्रकाशन	सभी विभागाध्यक्ष
भार तथ प्रप दोन	त के राजपत्र में छपने वाली अधिसूचनाएं, नियम, संकल्प त केन्द्र सरकार कार्यालयों से संबंधित कोड, मैनुअल, मानक त्र/फार्म तथा रजिस्टरों के शीर्षक आदि हिंदी तथा अंग्रेजी तों भाषाओं में अर्थात द्विभाषी होने चाहिए जिसमें हिंदी र और अंग्रेजी नीचे में हो।	A 12 M DAY TO LETTER!
Not governeg for	ngual publication of forms and manuals tifications, Rules, resolutions and codes related to the central vernment offices, manuals, standard form and headings of isters etc., published in the Gazette of India should be in bilingual m i.e. in both the languages Hindi and English wherein Hindi buld be above and English should be below in position.	All HOD's
	इ की मोंहरें, नामपृह, साइनबोर्ड आदि द्विभाषी रूप में	सभी विभागाध्यक्ष
परि सुर्ग	वाना रेसर के प्रशासन विभाग एवं सभी निफ्ट कैम्पस यह निश्चित करें कि रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइनबोर्ड, सूचना	MENTAL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P
	, पत्र शीर्ष, परिचय पत्र, वाहनों पर विवरण, फाइल कवर्स,	Shepini ay 14 kmatang 1
	गो आदि हिंदी-अंग्रेजी अर्थात द्विभाषी रूप में ही बनवाए	use our mont/series in the life in
<u>রা</u>	A MARKAGA MARKA	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY.
for Ad mu bo log	bber stamps, nameplate, signboards etc., to be made in bilingual mat ministration Department of the campus and all the NIFT campuses ust ensure that Rubber stamps, nameplate, signboards, notice ards, letter head, visiting card, description on vehicles, file covers, to etc., are to be necessarily made in Hindi-English i.e. in bilingual mat.	All HOD's
	वा पुस्तिकाओं/रजिस्टरों में प्रविष्टियां	स्थापना विभाग
	रेसर के स्थापना विभाग एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों की	State of the state of the party of
से	वा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां करने का काम होता है। इसलिए	

	अनुभाग के संबंधित प्रभारी अधिकारी/स्थापना/अनुभ	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF
	अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनमें प्रविष्टि	Commission state (in 1985)
	हिंदी में ही की जा रही हैं। इस बात की पड़ताल सेवा पुस्ति	He had be much and state
	में प्रविष्टि करते समय अथवा उस पर हस्ताक्षर करते सम	701
	कर ली जाए। इसके अलावा, अनुभाग में रखे जाने वाले सह	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADD
	रजिस्टरों/सेवा पुस्तिकाओं के शीर्ष, फाइल शीर्ष आ	Mark on hands
	हिदा/द्विभाषा में हो।	A COLUMN THE PARTY OF
	Entries in Service books/Registers It is the work of the Establishment Department of the campus to maintain the entries of the service books of Officers/Employees. Therefore the concerned Officer-in-charge of the section/Establishment/Section Officer should ensure that the entries are made and maintained in Hindi only. This should be verified at the time of making entry in the service book or at the time of signing it. Besides this, all registers/covers of service book, file cover etc., must be in Hindi/bilingual.	Establishment Department
	लिफाफों पर पते हिंदी में लिखना	विभागाध्यक्ष
	सभी अनुभाग यह सुनिश्चित करें कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों को	विमागाध्यक्ष
	भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिंदी में ही लिखे जाएं।	ation & Works but I
	Address written on the envelopes should be in Hindi All sections should ensure that the letters to be sent to "A" and "B" region must have the address written on the envelopes in Hindi only.	нор
	परिसर की वेबसाइट	सूचना प्रौदयोगिकी
	परिसर की वेबसाइट द्विभाषी होनी चाहिए। <u>सभी</u> अधिकारियों/विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली सामग्री आईटी विभाग को	received that make his
	द्विभाषी रूप में भेजी जाएं।	
	Website of the Campus	NORTH WHITE IS SHARE
	The Website of the campus should be bilingual. All the Officers/Department must ensure that all the information sent to the IT department to be uploaded on the website must be sent in Bilingual format from the source.	Information Technology
	पुस्तकों की खरीद/विज्ञापन, बैनर आदि पर व्यय	संसाधन केन्द्र।
	पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय का 50% व्यय अनिवार्य कर से	संसाधन केन्द्र/भवन विभाग/क्रर विभाग
	हिंदा पुस्तका की खरीद पर किया जाना चाहिए तथा विजायन	C. Stalipstope, Kurnigh upstagen
-	जानवाय रूप स द्विभाषी रूप में जारी किए जाए जाए	
	विज्ञापन व बैनर आदि पर कुल व्यय का न्यनतम 50% व्यय	
	हिंदी पुस्तकों की खरीद पर की जाए।	
t	necessarily be published in bilingual form.	Resource centre/ Building department
I	वैज्ञापन/बैनर आदि पर व्यय	सभी विभागाध्यक्ष
-	गरसर द्वारा जा भी विज्ञापन अंग्रेजी भाषा में दिए जाते हैं	राजा विमानाध्यक्ष
3	न्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रुप से दिया जाएगा। संसदीय	
- 1	जिभाषा समिति द्वारा भी समय-समय पर किए जाने वाले	

	राजभाषायी निरीक्षण के दौरान इस आदेश का शत-प्रतिशत	
	अनुपालन सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है।	
	Expenditure on Advertisement/banner etc. Any English Advertisements issued from the campus must also be issued in Hindi. During the Official Language inspection conducted by the Committee of Parliament on Official Language from time to time, it has been directed that the 100% compliance of this order must be strictly ensured.	All the HOD's
12	बैकड्राप में कार्यालय का नाम द्विभाषी	सभी विभागाध्यक्ष
	बैठकों/वीडियो क्राफेंसिंग के दौरान बैकड्राप में कार्यालय का नाम	
	द्विभाषी रुप में लिखा जाना सुनिश्चित किया जाए।	
	Name of Office in the backdrop should be in bilingual form It must be ensured that the name of office is written in bilingual form in the backdrop of a meeting/video conferencing.	All the HOD's
13	सभी समारोहों के निमत्रण-पत्र	प्रशासन विभाग एवं अन्य समारोह
	यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी आयोजनों / समारोह के	के आयोजक विभागाध्यक्ष
	निमंत्रण-पत्र, कागजात आदि हिंदी में अथवा द्विभाषी रूप में	er i e atod egitignisk e
	जारी किए जांए।	
	Invitation letter of all the events It must be ensured that the invitation card/papers etc. of all the events must be issued in Hindi or in bilingual form.	Administration Department and coordinating HOD of any event
14	हिंदी के रिक्त पदों को भरना	स्थापना विभाग
	भारत सरकार के राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप परिसर में हिंदी के पदों को सृजित करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाए।	
	Filling up of vacant post related to Hindi Department As per the standards set by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. necessary action regarding creation of Hindi posts in the campus should be ensured as soon as possible.	Establishment department
15	भुगतान संबंधी सभी बिलों को द्विभाषी तैयार करना	लेखा विभाग
	वित्त एवं लेखा विभाग भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	करेगा कि इन मदों को द्विभाषी रूप में ही तैयार किया गया है	
	और सभी रजिस्ट्ररों में प्रविष्टियां हिंदी में की जा रही है।	
	Bills related to payments are to prepared in bilingual form Finance and accounts department will ensure before the payment that these points are prepared in bilingual form and all the entries in the registers are being done in Hindi.	Accounts Department
16	सामान्य जिम्मेदारी	सभी विभागाध्यक्ष तथा
	फाइलों पर कार्रवाई अधिकतम अनुभागों से शुरू होती है। अतः	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
	संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि हिंदी का कार्यसाधक	
	ज्ञान रखने वाले/प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारी/कर्मचारी क और	
	ख क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र आदि के मसौदे मूल रूप से	
	हिंदी में प्रस्तुत करें और राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक	

कार्यक्रम 2022-23 में टिप्पणी के लिए निर्धारित लक्ष्य (75%) के अनुसार फाइलों पर टिप्पणी हिंदी में करें। सभी फाइल कवर्स पर विषय द्विभाषी रूप में लिखे जाएं। राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार परिपन्न आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में जारी होने चाहिए।

General Responsibility

Maximum number of file work starts from the Section/departments. Therefore concerned officers should ensure that Officers/Employees having working knowledge/proficiency in Hindi should use Hindi language while sending drafts or letters in the 'A' and 'B' regions and should do noting and drafting in file in Hindi as per the set target of up to 75% given in the Annual Program 2022-23 issued by the Department of Official language. The subject on all the file covers must be written in bilingual form. As per the Official Language act and under its rules circulars etc., must be issued in Hindi and English language both.

All the HOD's and signing official
